रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 1993/श्रावण 14, 1915
No. 468] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 1993/SRAVANA 14, 1915

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1993

का. आ. 593(अ):— केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन नार्दर्न इंडिया कॉटन एसोसिएशन लि., भटिण्डा द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को कपास में अग्रिम संविदा के बारे में 31 जुलाई, 1993 से 30 जुलाई, 1995 (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) की 2 वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त ऐसोसिएशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे ।

[फि. सं. 12 / 7 /आई. टी. /93]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1993

S.O. 593(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Northern India Cotton Association Ltd., Bhatinda and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of two years from the 31st July, 1993 to 30th July, 1995 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12|7|IT|93]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993